

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल
कमांक / 1519 / 1853 / 2020 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2020
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाधीश,
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन निर्धारण
पश्चात एरियर्स का भुगतान

संदर्भ :- वित्त विभाग का पत्र कमांक एफ 1386 / 8-5 / 2020 / नियम / चार
दिनांक 4 नवम्बर 2020

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश अनुसार म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप समस्त शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय व अंतिम किशत की राशि के 25 प्रतिशत राशि नियमानुसार कटौती पश्चात नगद भुगतान माह नवम्बर में किया जाने के लिये सभी अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भुगतान किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त संबंध में शासकीय सेवकों को 25 प्रतिशत राशि का भुगतान की समीक्षा हेतु नीचे संलग्न प्रपत्र अनुसार जानकारी 30 नवम्बर 2020 की स्थिति में 3 दिसम्बर 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे :-

प्रपत्र

क.	पात्र अधिकारी / कर्मचारियों की संख्या	इसके विरुद्ध स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	भुगतान किये गये प्रकरणों की संख्या	शेष प्रकरणों की संख्या	अभ्युक्ति (कालम 5 अनुसार कारण सहित स्थिति)
1	2	3	4	5	6
	प्रथम				
	द्वितीय				
	तृतीय				
	चतुर्थ				

(विवेक कुमार धारू)

अवर सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग